संख्या : 21/2015/469/छप्पन-2015-100/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2015**

विषय :जनपद बरेली स्थित सिविल एन्क्लेव के विकास/विस्तार हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि का आपसी समझौते के आधार पर क्रय करने हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार जनपद बरेली स्थित सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु आवश्यक 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि नि:शुल्क एवं समस्त भारमुक्त रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जानी है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रयोजन के लिए 25 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए आपसी समझौते के आधार पर कृषकों से इसका क्रय किये जाने हेतु जिलाधिकारी, बरेली द्वारा भूमि की कुल लागत रूपये 2916.65 लाख आगणित की गयी है। जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या- 2016/छप्पन-2013-100/2013, दिनांक 09-01-2014 एवं शासनादेश संख्या-301/छप्पन-2013-100/2013, दिनांक 04-03-2014 द्वारा कुल रूपये 11.41 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। जिलाधिकारी, बरेली द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 1775.65 लाख (रूपये 2916.65 - 1141.00 लाख) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रखे जाने हेतु रूपये 1775.65 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी जाय।

2- आपके पत्र संख्या- 1271/ए0एस0/37-89/2015, दिनांक 24 मार्च, 2015 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में तथा उक्त शासनादेश दिनांक 09-01-2014 एवं दिनांक 04-03-2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय बरेली हवाई पट्टी के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि के आपसी समझौते के आधार पर क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में तृतीय किश्त के रूप में रूपये 17,75,65,000/- (रूपये सत्रह करोड़ पिचहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- पूर्व निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों की भॉति स्वीकृत धनराशि आहरित कर जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रखी जायेगी और यथावश्यकता व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन/मद पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन/मद हेतु यह स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी भिन्न मदों/प्रयोजनों पर व्यय नहीं की जायेगी।

5- भूमि का क्रय नियमानुसार किया जायेगा तथा भू-स्वामियों को भुगतान के उपरान्त तत्काल बैनामे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6- उक्त धनराशि का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- भूमि क्रय हेतु की जा रही कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं भूमि क्रय की सम्पूर्ण कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ही सम्पन्न की जायेगी।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

<u>पृ0सं0 : 21/2015/469(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/बरेली।
4- जिलाधिकारी, बरेली ।
5- अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बरेली ।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-4
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।